क्रम संख्या–49 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 25 अप्रैल, 2023 ई0
बैशाख 05, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 155/XXXVI(3)/2023/12(1)/2023
देहरादून, 25 अप्रैल, 2023

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023'** पर दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को अनुमति प्रदान की और वह **उत्तराखण्ड राज्य का अधिनियम संख्याः 10, वर्ष– 2023** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2023

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 10, वर्ष 2023)

उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011
में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो,

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1 (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 2 का संशोधन 2 उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 (जिसे इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 2 के खण्ड (झ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी" से आयोग अभिप्रेत है;

धारा 3 का संशोधन 3 मूल अधिनियम में, धारा 3 की उपधारा (2) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(2)राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा उपलब्ध कराई गई समय सीमा विहित कर सकेगी।"

धारा 7 का संशोधन 4 मूल अधिनियम में, धारा 7 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(1) कोई पात्र व्यक्ति, जिसकी अपील सेवा प्राप्त करने के लिए खारिज कर दी गई हो या धारा 6 के अधीन प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विहित समय के भीतर सेवा उपलब्ध न कराने की दशा में ऐसे आदेश के खारिज होने की तारीख से तीस दिन के भीतर या प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा विहित समय की समाप्ति पर द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील योजित कर सकेगा :

परन्तु यह कि द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी यदि समुचित कारणों से निर्धारित समय–सीमा के भीतर आवेदन न कर सकने से संतुष्ट हो तो वह निर्धारित अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन पत्र को स्वीकार कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी अपील की प्राप्ति पर, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी मामले पर विचार करेगा और यदि उसकी राय में पात्र व्यक्ति के हित उचित प्रतीत होते हैं तो वह पदाभिहित अधिकारी को ऐसी अवधि के भीतर, जैसी वह विहित करे, सेवा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दे सकेगा और किसी त्रुटि के मामले में उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से

उपस्थित होने तथा उसके कारणों को स्पष्ट करने के निदेश दे सकेगा;

परन्तु यह कि अपील को खारिज करने से पूर्व पात्र व्यक्ति को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश को पात्र व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि उपधारा (1) के अधीन की गई अपील द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर यथाशीघ्र निर्णित की जायेगी।"

धारा 8 का संशोधन 5 मूल अधिनियम में, धारा 8 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"प्रथम अपीलीय प्राधिकारी में इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किसी अपील को निर्णित करते समय निम्नलिंखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्याक 5) के अधीन सिविल न्यायालयों के समरूप शक्तियाँ निहित होंगी, अर्थात :–

(क) अभिलेखों के प्रस्तुतीकरण और उनके निरीक्षण की अपेक्षा,

(ख) पदाभिहित अधिकारी और आवेदक को सुनवाई के लिए समन जारी करने; और

(ग) अन्य कोई मामले, जैसे विहित किए जाय।"

धारा 10 का लोप 6 मूल अधिनियम में, धारा 10 विलोपित कर दी जायेगी।

धारा 13 का संशोधन 7 मूल अधिनियम में, धारा 13 की उपधारा (1) निम्नवत प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"आयोग, मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों से संरचित होगा और उनकी नियुक्तियाँ उत्तराखण्ड़ विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।"

संशोधन 8 मूल अधिनियम में, धारा 15 की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"मुख्य आयुक्त और आयुक्त का कार्यकाल सम्बन्धित पदों पर, कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, तक अपने पद पर बने रहेगा तथा पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।"

धारा 17 का संशोधन 9 मूल अधिनियम में, धारा 17 में,

(i) उपधारा (1) का खण्ड (क) विलोपित कर दिया जायेगा,

(ii) उपधारा (1) के खण्ड (ख) एवं (ग) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात्–

"(ख) इस अधिनियम के अनुसरण में सेवा को उपलब्ध कराने में असफल होने पर स्वतः संज्ञान ले सकेगा तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अथवा पदाभिहित अधिकारी को ऐसे मामलों को निस्तारण के लिए सन्दर्भित कर सकेगा अथवा स्वतः भी मामले को निर्णित कर सकेगा;

(ग) सेवाओं को उपलब्ध कराने से सम्बन्धित कार्यालयों तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण कर सकेगा; "

(iii) उपधारा (1) में नया खण्ड (छ) निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(छ) धारा 7 के अधीन अपील को स्वीकार और निस्तारित कर सकेगा।"

(iv) उपधारा (3) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"(3)आयोग जब इस धारा के अधीन किसी मामले की जाँच अथवा धारा–7 के अधीन अपील का निस्तारण कर रहा हो तो उसे निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद के परीक्षण करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियाँ निहित होंगी:–

(क) व्यक्तियों को समन और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने, शपथ पर मौखिक अथवा लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने तथा अभिलेखों अथवा वस्तुओं को प्रस्तुत करने की शक्ति;

(ख) अभिलेखों के निरीक्षण और खोज की अपेक्षा करने की शक्ति;

(ग) शपथ–पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति;

(घ) किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से, उससे सम्बन्धित कोई लोक अभिलेख या प्रतियों की माँग करने की शक्ति;

(ड.) गवाहों अथवा दस्तावेजों के परीक्षण के लिए समन जारी करने की शक्ति; और

(च) कोई अन्य मामले, जिसे विहित किया जाय, की शक्ति।"

धारा 19.क का अतःस्थापन

10 मूल अधिनियम में, धारा 19 के पश्चात् नई धारा 19.क निम्नवत् अतःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्–

"न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन

कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाए किसी रूप में प्रश्नगत् नहीं किया जाएगा।"

धारा 20 का संशोधन

11. मूल अधिनियम में, धारा 20 की उपधारा (2) में :–

(i) खण्ड (ख) को विलोपित कर दिया जायेगा;

(ii) खण्ड (ग) के पश्चात् नया खण्ड निम्नवत् अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(ग.ग) धारा 6 एवं 7 के अधीन अपील के निस्तारण के लिए प्रक्रिया;"

आज्ञा से,

शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश,
सचिव।

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा आम जनमानस से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सेवाओं को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जाने एवं सम्भावित भ्रष्टाचार को रोके जाने हेतु सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 निर्मित किया गया। उक्त अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु गठित आयोग को सशक्त किये जाने के उद्देश्य से अधिनियम में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित संशोधन विधेयक में द्वितीय अपील निस्तारण हेतु समय–सीमा 45 दिवस निर्धारित करते हुए द्वितीय अपील का अधिकार, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग को दिये जाने सहित शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

3. इसके साथ ही मुख्य आयुक्त और दो आयुक्तों की नियुक्तियाँ उत्तराखण्ड़ विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा करते हुए आयुक्तों की सेवा की कार्यावधि तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी पहले हो किया जाना है तथा सेवा का अधिकार आयोग को सूचना आयोग की तरह न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन का अधिकार प्रदान किया जाना है।

4. प्रस्तावित संशोधन विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है ।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री।